न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/389/2018

उनवान

1. मांगी लाल पिता गिरधारी गाडरी निवासी मालोला, तहसील व जिला भीलवाडा
2. रामलाल पिता गिरधारी गाडरी निवासी मालोला, तहसील व जिला भीलवाडा
3. बगतावर पिता गिरधारी गाडरी निवासी मालोला, तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा
3. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मालोला जरिये प्रधानाध्यापक राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
4. जिला शिक्षा अधिकाकरी, (प्रारंभिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या32/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.5.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री एच डी वर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 24.1.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मालोला पटवार हल्का मालोला, तहसील व जिला भीलवाडा में वादीगण मांगी लाल , राम लाल व बगतावर गाडरी की खातेदारी हक व अधिकार की आराजी संख्या 1229 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 1230 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 1231 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 1232 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 1275 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 1276 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 1279 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 1280 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 1281 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 1282 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1283 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 1285/3 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 1570 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1699/1285 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 16 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी में से आराजी नम्बर 1699 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। तथा जिसके साबिक आराजी नम्बर 88 मीन व 93 मीन थे। जो कि साबिक नक्शे में भी सही फिट थी साबिक से हाल रेकार्ड में रकबा सही र्द कर दी लेकिन बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने नक्शा बनाते समय वादीगण की आराजी संख्या 1699/1283 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा के नक्शे को थोडा दबा दिया यानि नक्शे में मोड देते

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

समय वादीगण की आराजी संख्या 1699/1285 के पश्चिमी दिशा में करीब 13 बिस्वा भूमि को बिलानाम आराजी संख्या 1686 में मिला दिया तथा वादीगण की आराजी से नक्शे में कम कर दी ।

2. उक्त गलती बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा हाल नक्शा बनाते समय हुई है । वादीगण की आराजी को हाल नक्शे में आराजी नम्बर 1699/1285 के पश्चिम दिशा में नक्शे में थोडा झुकाव वादीगण की आराजी की तरफ से दिया जिससे वादीगण का 13 बिस्वा आराजी नक्शे में कम दर्ज हो गई। जिससे वादीगण का 13 बिस्वा आराजी नक्शे में कम दर्ज हो गई तथा 13 बिस्वा भूमि को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मालोला को आवंटन कर दिया । जबकि कब्जा मौके पर आज भी वादीगण का ही है। उक्त गलती केवल साबिक से हाल नक्शा बनाते समय बन्दोबस्त के कर्मचारियों से हुई है। अतः आराजी नम्बर 1699/1285 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा को नक्शे में पश्चिमी दिशा में घुमाव (कर्व) को सही कर आराजी संख्या 1686 की तरफ बढाया जाकर सही तरमीम किया जाकर वादीगण को 13 बिस्वा कमी भूमि को नक्शे में दर्ज कर को पूरी तरह तरमीम करा तरमीमी नक्शा जारी कराया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण को तत्समय नहीं हो पाई थी। क्योंकि अपीलाधीन निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभियान में किया गया था। जहॉ अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण गये तो उस समय कह दिया कि तुम्हारा नक्शा दुरूस्तगी का दावा सही है, हम सही कर देंगे । प्रार्थीगण ज्यादा पढे लिखे नहीं थे, किसान है और अपना दावा स्वीकार होना मानकर घर चले गये। अपने अधिवक्ता को भी दावा स्वीकार करने की सूचना दे दी । बाद में दावा खारिज कर दिया जबकि दिनांक 7.5. 2018 को प्रार्थीण को मजमा आम में दावा स्वीकार करने का एलान अधीनस्थ न्यायालय ने किया था। परन्तु हाल में विद्यालय के हेड मास्टर साहब ने दिनांक 2.10.2018 को मौके पर आकर कहा कि तुम्हारा कब्जा हटा लेना तुम्हारा दावा दिनांक 7.5.2018 को खारिज हो गया है। तब अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय की नकल दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने अपना दावा पूर्णरूप से साबित कराया था । केवलमात्र अधीनस्थ न्यायालय में दावे में लिपिकिय भूलवश अपीलाण्ट की आराजी संख्या 1699/1285 के पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 1686 लिख दिया । जिसको आधार मानकर दावा निरस्त कर दिया । ऐसी कोई आराजी संख्या अपीलाण्ट की आराजी के पश्चिम में स्थित नहीं है। जबकि अपीलाण्ट ने अपने वाद पत्र के साथ आराजी संख्या 1286 की जमाबंदी की नकल पेश की । जिसका वर्णन भी अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद पत्र में किया था कि अपीलार्थीगण की आराजी संख्या 1699/1285

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

के पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 1286 ही है तथा नक्शा दुरूस्ती भी इसी आराजी से करनी है। फिर भी केवल लिपिकिय भूल को आधार लेकर रेकार्ड की अनदेखी कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभियान में किया है जिसमें अपीलार्थीगण को उस समय कह दिया गया कि तुम्हारा नक्शा दुरूस्ती का दावा सही है हम सही कर देंगे। प्रार्थीगण ज्यादा पढे लिखे नहीं थे, किसान है और अपना दावा स्वीकार होना मानकर घर चले गये। अपने अधिवक्ता को भी दावा स्वीकार करने की सूचना दे दी । बाद में दावा खारिज कर दिया जबकि दिनांक 7.5.2018 को प्रार्थीण को मजमा आम में दावा स्वीकार करने का एलान अधीनस्थ न्यायालय ने किया था। लेकिन बाद में बिना किसी औचित्य के दावा खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में न तो अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियात कायम की है एवं न ही उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण का दावा केवल मात्र नक्शा दुरूस्तगी का है रेकार्ड में भूमि बराबर है , लेकिन नक्शे को अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 1699/1285 के पश्चिम दिशा में स्थित आराजी संख्या 1286 की तरफ नक्शे को थोडा बढा दिया तथा अपीलार्थीगण की आराजी की तरफ थोडा दबा दिया जिसे दुरूस्त कराने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया था। केवलामत्र लिपिकिय त्रुटि की तरफ ध्यान नहीं देकर आराजी संख्या 1686 को 1286 नहीं मानकर वाद पत्र खारिज किया है । अपीलाधीन निर्णय खारिज योग्य है। अतः अपील

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायाल द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

9. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो बाद विचारण निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का जो कारण दर्शाया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलार्थीगण का कथन है कि बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा हाल नक्शा बनाते समय हुई है । वादीगण की आराजी को हाल नक्शे में आराजी नम्बर 1699/1285 के पश्चिम दिशा में नक्शे में थोडा झुकाव वादीगण की आराजी की तरफ से दिया जिससे वादीगण का 13 बिस्वा आराजी नक्शे में कम दर्ज हो गई। जिससे वादीगण का 13 बिस्वा आराजी नक्शे में कम दर्ज हो गई तथा 13 बिस्वा भूमि को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मालोला को आवंटन कर दिया । जबकि कब्जा मौके पर आज भी वादीगण का ही है। उक्त गलती केवल साबिक से हाल नक्शा बनाते समय बन्दोबस्त के कर्मचारियों से हुई है। अतः आराजी नम्बर 1699/1285 रकबा 3 बीघा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

09 बिस्वा को नक्शे में पश्चिमी दिशा में घुमाव (कर्व) को सही कर आराजी संख्या 1686 की तरफ बढाया जाकर सही तरमीम किया जाकर वादीगण को 13 बिस्वा कमी भूमि को नक्शे में दर्ज कर को पूरी तरह तरमीम करा तरमीमी नक्शा जारी कराया जावे।

12. अपीलार्थी ने का कथन है कि साबिक आराजी नम्बर 88 एवं 89 मीन से हाल आराजी नम्बर भू प्रबन्ध के दौरान बने है। अपीलार्थी द्वारा खसरा पत्रक एवं तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलार्थीगण के कथन की पुष्टि होती है। अपीलार्थीगण की जिम्मेदारी होती है कि वे स्वयं वाद को पर्याप्त साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज से साबित कराये। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा साबिक नक्शा एवं हाल नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 1699/1285 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा को नक्शे में पश्चिमी दिशा में घुमाव (कर्व) को किया जाकर आराजी संख्या 1686 की तरफ बढाया जाकर वादीगण की 13 बिस्वा भूमि को नक्शे में कम दर्ज दर्ज किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय में यद्यपि तनकियात कायम की गई थी। प्रकरण को उसके उपरान्त राजस्व लोक अदालत कैम्प मालोला में नियत किया गया जहॉ अपीलार्थीगण उपस्थित हुए है जिनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

13. अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य खसरा पत्रक, तुलनात्मक क्षेत्रफल, साबिक नक्शा एवं हाल नक्शा की सत्य प्रति प्रस्तुत कर वाद पत्र को साबित कराने में असफल रहने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलार्थीगण ने न्यायालय

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

हाजा के समक्ष भी अपना पक्ष साबित करने के लिए दस्तावेज एवं राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किये है। अपीलार्थीगण वाद पत्र में अंकित तथ्यों को साबित कराने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

14. अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.5.218 को यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

15. निर्णय आज दिनांक 24.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री के सी लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/389/2018

उनवान

1. मांगी लाल पिता गिरधारी गाडरी निवासी मालोला, तहसील व जिला भीलवाडा
2. रामलाल पिता गिरधारी गाडरी निवासी मालोला, तहसील व जिला भीलवाडा
3. बगतावर पिता गिरधारी गाडरी निवासी मालोला, तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा
3. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मालोला जरिये प्रधानाध्यापक राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
4. जिला शिक्षा अधिकाकरी, (प्रारंभिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या32/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.5.2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/389/2018 मे **उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 24.1.202 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एच डी वर्मा वकील एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 24.1.202 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है किः–

अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.5.218 को यथावत रखा जाता है ।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

10 TA /389/2018 मांगी लाल बनाम सरकार

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 24.1.202 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.24 14:56:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: